राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34/2021 अपील

1. प्रेमा पिता कालू मीणा निवासी टोला, तहसील जहाजपुर –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण संख्या 17/2021 निर्णय दिनांक 22.07.2021

उपस्थित –

1. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 09.02.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण संख्या 17/2021 निर्णय दिनांक 22.07.2021 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का धौड़ ने एक पश्चातवर्ती रिपोर्ट दिनांक 16/07/2021 को पेश की हैं कि संवत् 2078 में खसरा नम्बर 501 कुल रकबा 2.01 बीघा किस्म गैर गुमकिन रास्ता भूमि में से 0.01 बीघा पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया हैं जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल पर अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा–91 (3) के तहत् नोटिस जारी किया गया व दिनांक 22.07.2021 को न्यायालय द्वारा गैर सायल के विरूद्व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत ग्राम टोला की राजकीय भूमि खसरा संख्या 501 कुल रकबा 2.01 किस्म गे.मु. रास्ता भूमि मे से 0.01 बीघा भूमि पर भौतिक रूप से बेदखल करने एवं वार्षिक लगान की दर 0.05/– रूपये के 50 गुना 03/– अक्षरे तीन रूपये जुर्माना आरोपित किया गया व 3 माह की सिविल कारावास की सजा सुनाई जाकर, एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया जिससे भी निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नहीं किये और न ही किसी स्वतंत्र गवाहान के बयान लेखबद्ध किये और न ही पटवारी हल्का से जिरह आदि करने का अवसर अपीलार्थी को दिया गया, जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध पटवार हल्का धोड़ की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.08.2021 अनुसार ग्राम टोला की आराजी नम्बर 501 रकबा 2.01 बीघा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म गे.मु. रास्ता के आंशिक भाग में अपीलार्थी अतिक्रमी प्रेमा पिता कालू, नीमराज पिता रामकुंवार, सुरेन्द्र पिता कैलाश द्वारा रास्ते को खाली कर स्वतंत्र कर दिया गया हैं, अन्य अतिक्रमीयों का मौके पर जो पूर्व में अतिक्रमण था, ज्यों का त्यों ही हैं। अतः पटवार हल्का धोड की मौका पर्चा अनुसार प्रश्नगत आराजी व क्षैत्रफल से अपीलार्थी/अतिक्रर्मी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होने से, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2021 के निर्णय अनुसार अपीलार्थी /अतिक्रमी को 03 माह के सिविल कारावास की सजा से माफ की जाना न्यायोचित है एवं अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहने योग्य ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 17/2021 को तहसीलदार जहाजपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त होने से अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। पटवार हल्का धोड की दिनांक 03.08.2021 की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत आराजी व क्षैत्रफल से अपीलार्थी /अतिक्रर्मी द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया जाना प्रमाणित होता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2021 निर्णय दिनांक 22.07.2021 में से अपीलार्थी/अतिक्रमी को 03 माह के सिविल कारावास की सजा से माफ किया जाता हैं, एवं अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)